

18.04.17 निर्धारित की जाती है।

18.04.17 अगिलेय उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित है।
पक्ष के अनुपस्थित सदस्य की शोर्ट से प्रतिनिधित्व है।
अविद्वान की गई है। बाद में प्रथम पक्ष उपस्थित है।
पंडासरी पदाधिकारी अनु कार्य में शामिल है।
अगिलेय दिनांक 05.05.17 को रखें।

09.11.

05.05.17 अगिलेय उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित है।
पक्ष के एक सदस्य उपस्थित हैं एवं अनुपस्थित सदस्य
की शोर्ट से प्रतिनिधित्व है। अविद्वान की गई है।

प्रथम पक्ष से दारिद्र्य

उक्त वाद की वैधानिक समझावधि 6 माह
समाप्त हो चुकी है एवं किसी भी पक्ष द्वारा अवधि
विस्तार हेतु अनुरोध नहीं किया गया है। अतः वाद
की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

05/05/17

25.11

14.12.1